भंवराराम बनाम जितेन्द्र देव
2023/195
निर्णय दिनांकः—04.03.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2023/195

दर्ज तिथिः—04.08.2023

1. भंवराराम पुत्र रामचन्द्रराम
जाति जाट निवासी दूदासर—मेहलू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.................वादी

बनाम

1. जितेन्द्र देव पुत्र रामचन्द्रराम
2. वालाराम पुत्र रामचन्द्रराम
3. नैनाराम पुत्र रामचन्द्रराम
जाति जाट निवासी दूदासर—मेहलू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.................असल प्रतिवादीगण

4. तहसीलदार /उपपंजियक धोरीमन्ना

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः—श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीः— श्री हापूराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88,53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—04.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 284/0.1538 है0, 285/6.1269 है0, 292/1/4.8077 है0, 323/1/2.1691 है0, 323/8/0.3237 है0 स्थित ग्राम दूदासर पटवार हल्का मेहलू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित उपरोक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती की काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगणका हिस्सामुताबिक राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.27 18:03:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 को सम्मन विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गइ। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 हाजा न्यायालय में असालतन–वकालतन उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 के अधिवक्ता द्वारा माफिक हक हिस्सा भूमि की गुणवत्ता एवं आवागमन की सुविधा एवं वर्तमान कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाने की सहमति दी। जिस पर वकील वादी ने सहमति दिये जाने पर दिनांक 02.02.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू–धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आरए/2024/607 दिनांक 28.02.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 मय वकुलाय राजस्व आवेदन धारा 151 सीविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर वादग्रसत प्रकरण में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं होने से विभाजन प्रस्ताव व नक्शा विधि विरूद्व होने से पुनः विभाजन प्रस्ताव भौतिक व वास्तविक स्थिति व सारे पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए मंगवाने का प्रस्तुत करने पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 28.05.2024 को तहसीलदार धोरीमन्ना से विस्तृत तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय हाजा को भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। उक्त की पालना में तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक भू.अ./2024/2240 दिनांक 13.08.2024 द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा को भिजवाया गया। प्रतिवादी संख्या 3 मय वकील दिनांक 08.10.2024 को राजस्व आवेदन आदेश 18 नियम 18 सपठित धारा 151 सीपीसी को प्रस्तुत कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रस्तुत किया। अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने भू.अ./2024/2240 दिनांक 13.08.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अ[illegible] [illegible]ाका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अप[illegible] गई प्रक्रिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.27 18:03:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 31.07.2024 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में वादी व समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस क्रमांक वि.प्र. / 2024 / 2170—2173 दिनांक 26.07.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 31.07. 2024 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए। समस्त पक्षकार मौके पर उपस्थित रहे। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072—2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 284 / 0.1538 है0, 285 / 6.1269 है0, 292 / 1 / 4.8077 है0, 323 / 1 / 2.1691 है0, 323 / 8 / 0.3237 है0 वाके ग्राम दूदासर पटवार हल्का मेहलू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारातकसीम आराजी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जा— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.27 18:03:41 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 284/0.1538 है0, 285/6.1269 है0, 292/1/4.8077 है0, 323/1/2.1691 है0, 323/8/0.3237 है0 वाके ग्राम दूदासर पटवार हल्का मेहलू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाते प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.27 18:03:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

भंवरराम बनाम जितेन्द्र देव
2023/195
निर्णय दिनांकः–04.03.2025

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	वरंग
नैनाराम पुत्र रामचन्द्रराम कौम जाट सा.देह खातेदार	पूर्ण	284	0.1538	गै.मु.टांका. बा.सो	लाल
		285	3.2415		
		2	3.3953		
भंवरराम पुत्र रामचन्द्रराम कौम जाट सा.देह खातेदार	पूर्ण	292/1	3.3953	बा.दो.	नीला
वालाराम पुत्र रामचन्द्रराम कौम जाट सा.देह खातेदार	पूर्ण	292/1	1.2262	बा.दो.	हरा
		323/1	2.1691	बा.सो.	
		2	3.3953		
जितेन्द्रदेव पुत्र रामचन्द्रराम कौम जाट सा.देह खातेदार	पूर्ण	285	2.8854	बा.सो.	केसरिया
		292/1	0.1862	बा.दो.	
		323/8	0.3237	बा.सो.	
		3	3.3953		
किता 04 रकबा 2.9137 हैक्टेयर					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

4/3/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर
धोरीमना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.27 18:03:41 IST
Reason: SelfAttested

भंवरराम बनाम जितेन्द्र देव
2023 / 195
निर्णय दिनांकः–04.03.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2023 / 195

दर्ज तिथिः–04.08.2023

1. भंवरराम पुत्र रामचन्द्रराम
   जाति जाट निवासी दूदासर–मेहलू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

..................वादी

बनाम

1. जितेन्द्र देव पुत्र रामचन्द्रराम
2. वालाराम पुत्र रामचन्द्रराम
3. नैनाराम पुत्र रामचन्द्रराम
   जाति जाट निवासी दूदासर–मेहलू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.................असल प्रतिवादीगण

4. तहसीलदार / उपपंजियक धोरीमन्ना

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः–श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीः– श्री हापूराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 284 / 0.1538 है0, 285 / 6.1269 है0, 292 / 1 / 4.8077 है0, 323 / 1 / 2.1691 है0, 323 / 8 / 0.[illegible] है0 वाके ग्राम दूदासर पटवार हल्का मेहलू तहसील धो[illegible]न्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा, जैसा नीचे अ[illegible] तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। [illegible] के राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता [illegible]ष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.27 13:03:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

भंवरराम बनाम जितेन्द्र देव
2023／195
निर्णय दिनांकः—04.03.2025

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	वरंग
नैनाराम पुत्र रामचन्द्रराम कौम जाट सा.देह खातेदार	पूर्ण	284 285	0.1538 3.2415	गै.मु.टांका. बा.सो	लाल
		2	3.3953		
भंवरराम पुत्र रामचन्द्रराम कौम जाट सा.देह खातेदार	पूर्ण	292／1	3.3953	बा.दो.	नीला
वालाराम पुत्र रामचन्द्रराम कौम जाट सा.देह खातेदार	पूर्ण	292／1 323／1	1.2262 2.1691	बा.दो. बा.सो.	हरा
		2	3.3953		
जितेन्द्रदेव पुत्र रामचन्द्रराम कौम जाट सा.देह खातेदार	पूर्ण	285 292／1 323／8	2.8854 0.1862 0.3237	बा.सो. बा.दो. बा.सो.	केसरिया
		3	3.3953		
किता 05 रकबा 13.5812 हैक्टेयर					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले। नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

4/3/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
SDO बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.27 18:03:41 IST
Reason: SelfAttested